# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.**

अपील संख्या :– 788/2016

बद्री पुत्र रामकरण, जाति मीणा (मृतक दौराने अपील)

1/1 मंगलचन्द पुत्र स्व. बद्री आयु 28 वर्ष

1/2 गिर्राज पुत्र स्व. श्री बद्री पुत्र 24 वर्ष

1/3 रिकूं पुत्र स्व. श्री बद्री आयु 19 वर्ष

1/4 मधु देवी पुत्री श्री बद्री पत्नी जयनारायण आयु 25 वर्ष

1/5 श्रीमती नेना पत्नी स्व. श्री ब्रदी आयु 47 वर्ष

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज0।

**–अपीलार्थीगण–**

**बनाम**

1. पांची देवी पत्नी शंकर जाति मीणा (मृतक दौराने अपील)

1/1 शंकरलाल मीणा (पति मृतक पांची देवी)

1/2 माधो पुत्र शंकरलाल मीणा (पुत्र मृतक पांची देवी)

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सालडवास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. राजू उर्फ राजया पुत्र रेवड जाति मीणा, निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

3. सेडी पत्नी रामकुंवार, जाति मीणा, निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

4. मौहरीलाल पुत्र जवाहरा (मृतक दौराने अपील)

4/1 हीरा देवी पत्नी स्व0 भौरीलाल मीणा
4/2 श्रीराम पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल मीणा
4/3 गंगाराम पुत्र स्व. श्री भौरीलाल मीणा
4/4 रामपाल पुत्र स्व. श्री भौरीलाल मीणा

जाति मीणा, निवासी ग्राम गठवाडी, तह0 जमवारामगढ, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर, राज0।

6. गणेश पुत्र स्व. श्री रामसिंह जाति मीणा, आयु 40 वर्ष, नि0 थानागाजी, तह0 थानागाजी, जिला जयपुर।

**–रेस्पोडेंट्स –**

**उपस्थित अधिवक्तागणः–**

1– श्री राकेश बापलावत अपीलान्ट्स की ओर से।

2– श्री एन.आर.सैनी रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से।

**:– निर्णय :–** दिनांक :– 29.06.2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2016 न्यायालय राजस्व कैम्प कोर्ट 2016 एवं सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ जिला जयपुर बउनवानी मुकदमा बद्री बनाम पांची वगैरा मुकदमा सं. 28/2006, प्रस्तुत की गई हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/4 के स्वर्गीय पिता बद्री ने (वादी) ने एक वाद पत्र सन 2002 में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंटस के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी का नाना नाथू जो लादू का लडका था तथा लादू परसा का लडका था, गोविन्दा जो लादू का बडा भाई था, का एकमात्र वारिस नाथू जाति रिति रिवाज के अनुसार ही बना। लादू का देहान्त गोविन्दा से पहले हो चुका था और गोविन्दा ने लादू की मृत्यु के बाद नाथू को ही अपने पास रखा और नाथू ने ही गोविन्दा की सेवा की थी इस कारण से गोविन्दा की भूमि की खातेदारी नाथू के नाम बतौर पुत्र सही रूप से दर्ज हुई है। क्योंकि गोविन्दा को लादू के मरने के पश्चात् गोद लिया था। ग्रम गठवाडी में भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 817 रकबा 11 बिस्वा कुल रकबा.1 बीघा 9 बिस्वा नाथू के नाम खातेदारी में रही। खसरा नम्बर 341 में से 8 बिस्वा में सडक निकल जाने के कारण कुल 4 बिस्वा ही भूमि नाथू की खातेदारी में रही। नाथू जो वादी का सगा नाना था, और वादी के पास ही रहता था, नाथू की बीमारी आदि में खर्चा होने के कारण एक बिचौती इकरारनामा नाथू द्वारा वादी के हक में दिनांक 01.01.1999 को लिखकर वादी से 1,00,000/– रूपये अक्षरे एक लाख रूपये नकद लिये थे तथा नाथू ने अपने दोहिते वादी के हक में एक वसीयत भी दिनांक 15.02.1997 को कर दी। नाथू की मृत्यु दिनांक 26.05.2000 को हुई इस आधार पर वादी नाथू का वारिस बना। और जो भूमि नाथू के खाते की थी उसका वादी खातेदार बना। भूमि खसरा नम्बर 341 व 643 का विवाद अलग से सिविल न्यायालय में लम्बित है शेष भूमि खसरा 355 व 817 पर वादी मृतक नाथू का दोहिता होने एवं नाथू की वसीयत के आधार पर वारिस होने के कारण काबिज है। बोबाडी में भूमि खसरा नम्बर 253 रकबा 2 बिस्वा एवं 254 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा जो लादू की खातेदारी की थी में लादू के दो पुत्र नाथू व रेवड ही वारिस हुए जो इन्द्राज जमाबन्दी में पेमला व परसा का बतौर लादू के पुत्र इन्द्राज किया गया है वह गलत है। पेमला लादू का भाई था, जो लाऔलाद फौत हो गया था तथा परसा लादू का पिता था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे पेमला व परसा को लादू का पुत्र दिखा दिया है वह गलत है। गांव बोबाडी में स्थित खसरा नम्बर 238 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि में पेमला परसा पुत्र लादू का जो इन्द्राज है वह गलत है। बल्कि लादू के दोनों पुत्र नाथू व रेवड बहिस्सा बराबर मालिक है। खसरा नम्बर 238 के शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 4 भौरीलाल पुत्र जवाहरा बतौर सहकृषक दर्ज है। लादू की मृत्यु करीब 70 साल पूर्व हो गई थी। लादू की वारिस उसके दो पुत्र नाथू व रेवड ही थे। लादू के मरने के बाद गोविन्दा ने नाथू को करीब 40–50 साल पहले जाति रिवाज के अनुसार गोद लिया था इसलिए गोविन्दा का वारिस भी नाथू ही बना है और वही एकमात्र गोविन्दा का वारिस है। प्रतिवादी संख्या 2 राजू उर्फ राज्या ने एक वाद नाथू पुत्र लादू दत्तक पुत्र गोविन्दा से खसरा नम्बर 646 व अन्य भूमि के संबंध में विशिष्ट अनुपालना का नाथू की पुत्री पांचू से नाथू की पूरी वसीयत पांची के हक में होना बताते हुए दायर कर रखा है। जबकि वास्तविकता में पांची के हक में कोई वसीयत नहीं की गई है। ना ही पांची ने अपने हक में कोई वसीयत होते हुए कोई वाद ही किया है। बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने साजिश कर झूठी कहानी गढते हुए वादी के कब्जे व खातेदारी की भूमि जो वादी को नाथू से जरिये वसीयत व दोहिता होने के कारण प्राप्त हुई है पर नाजायज दखल देने की कार्यवाही करने के उद्देश्य से दिनांक 30.12.2001 को झगडा किया और कहने लगे कि पांची के नाम इन्द्राज रिकॉर्ड कराओ जबकि रजिस्टर्ड वसीयत वादी के हक में हैं। प्रतिवादीगण वादी की कब्जे एवं नाथू की रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मिली सम्पति को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हडपना चाहते है तथा नाथू की भूमि की खातेदारी अपने नाम कराकर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं एवं काश्त में नाजायज रूप से दखल करते हैं। ऐसी स्थिति में वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाना चाहता है। अन्त में यह घोषणा भी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बोबाडी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 253 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 हिस्से एवं खसरा नम्बर 238 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के 1/4 हिस्से का एवं ग्राम गठवाडी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 817 रकबा 11 बिस्वा तहसील जमवारामगढ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की की जावे तथा ग्राम बोबाडी की जमाबन्दी में गलत रूप से दर्ज चले आ रहे इन्द्राज जो पेमला परसा के नाम से है उसे हजफ किया जावे एवं स्थाई निषेधाथा की डिक्री पारित कर प्रतिवादीगण को शाश्वत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाकर उपर्युक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं काश्त करने से नहीं रोकने बाबत एवं अनाधिकृत प्रवेश कर भूमि को क्षति पहुंचाने बाबत पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का उक्त वाद दिनांक 07.06.2016 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अंपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प के दौरान बिना पक्षकारों की उपस्थिति में जिसके तहत प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, वाद को आदेश 7 नियम 11 के तहत क्षेत्राधिकार में नहीं रहने से निर्णित कर दिया गया जो सरासर विधि विरूद्ध है। वादी का वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कहते हुए कि प्रकरण वसीयत के आधार पर अधिकारों की घोषणा का है जिस बाबत् सिविल न्यायालय से पक्षकार अपना निर्णय करावे इस वरडिक्ट के साथ दावे को आदेश 7 नियम 11 के तहत निर्णित कर दिया गया जो सरासर गलत एवं अवैध है। कभी भी वाद को आदेश 7 नियम 11 के तहत निर्णित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया था उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी स्वेच्छा से प्रकरण को आदेश 7 नियम 11 की परिधि में मानते हुए निर्णित कर दिया जो सरासर सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.06.2016 को पारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू–राजस्व अधिनियम एवं प्रचलित नियम एवं विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि वादी की मृत्यु हो चुकी है और वादी के कानूनी वारिसान को वाद में अभी पक्षकार नहीं बनाया गया है उसके बावजूद भी अपीलार्थी गिर्राज जो कि पढा लिखा नहीं है मात्र हस्ताक्षर करना जानता है, उसके हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवाते हुए गलत एवं अवैध तरीके से दिनांक 07.06.2016 को वाद का निस्तारण कर दिया। निर्णय दिनांक 07–06–2016 की जानकारी पूर्व में अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी उसके उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 17–08–2016 को वाद की जांनकारी करने बाबत् जमवारामगढ जाकर अधिवक्ता से पूछताछ की तो पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम निर्णय दिनांक 07.06.2016 की जानकारी हुई उसी दिन पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया और नकल दिनांक 19.08.2016 को प्राप्त

हुई। इस प्रकार जानकारी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से उक्त अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। राजस्व कैम्प द्वारा अपीलार्थी संख्या 1/2 गिर्राज के अलावा अन्य अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई ना ही कोई सूचना अपीलार्थीगण को राजस्व कैम्प की सुनवाई की प्राप्त हुई। एवं अपीलार्थी संख्या 1/2 गिर्राज के भी आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर उसे भेज दिया गया था। निर्णय की कोई जानकारी अपीलार्थी संख्या 1/2 गिर्राज को भी नहीं दी गई। उसके उपरान्त राजस्व अभियान चालु रहे इस कारण से पत्रावली की नकल भी देरी से प्राप्त हुई। दिनांक 17–08–2016 को प्रकरण की जानकारी करने पर निर्णय दिनांक 7.06.2016 की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस कारण अपील पेश करने में जो देर हुई है वो माफ किये जाने योग्य है। इस हेतु अपील के साथ अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2016 को अपास्त किया जाकर वाद को पुनः पुराने नम्बर 208/2002 पर दर्ज किया जाकर विधि अनुसार गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के आदेश पारित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को ज़रिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया गया कि वादी अपीलान्ट् के पिता बद्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया गया है। बद्री के पिता नाथू, गोविन्दा की गोद चले जाने से गोविन्दा की भूमि नाथू के नाम बतौर पुत्र सही रूप से दर्ज हुई है। नाथू वादी का सगा नाना था जो वादी के साथ ही रहता था। नाथू ने वादी के हक में बिचौती इकरारनामा दिनांक 01.11.1999 को लिखकर दिया था तथा एक विरासत भी दिनांक 15.02.1997 को कर दी थी। नाथू की मृत्यु दिनांक 26.05.200 को हुई तथा वादी नाथू के पिता की भूमि का खातेदार बना। भूमि खसरा नम्बर 355 व 817 पर वादी मृतक का दोहिता होने एवं नाथू की वसीयत होने के आधार पर काबिज है। ग्राम बोबाडी में भूमि खसरा नम्बर 253 व खसरा नम्बर 254 लादू की खातेदारी में थी जो लादू के दो पुत्र नाथू व रेवड वारिस हुए परन्तु जमाबन्दी में पेमला व परसा के नाम इन्द्राज कर दिया गया, वह गलत है। जबकि पेमला लादू का भाई था तथा परसा लादू का पिता था इसी तरह गांव बोबाडी में स्थित खसरा नम्बर 238 में भी यही इन्द्राज है जो कि गलत है। लादू के मरने के बाद गोविन्दा ने नाथू को गोद लिया था इसलिए वह गोविन्दा का वारिस बना। प्रतिवादी संख्या 2 राजू ने एक वाद नाथू पुत्र लादू दत्तक पुत्र गोविन्दा के विरूद्ध खसरा नम्बर 646 व अन्य भूमि के संबंध में विशिष्ट अनुपालना का कर रखा है कि नाथू की वसीयत पांची के हक में की गई है जबकि इस तरह की वसीयत नाथू द्वारा नहीं की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट् द्वारा कथन किया गया कि उक्त कथनों के आधार पर वादी द्वारा ग्राम बोबाडी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 253 व 54 के 1/2 हिस्से एवं खसरा नम्बर 238 के 1/4 हिस्से तथा ग्राम गठवाडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 341 व खसरा नम्बर 817 का खातेदार घोषित करने हेतु दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुचित तौर पर वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज किया गया है जबकि वादी द्वारा गलत रूप से दर्ज इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु भी अनुतोष चाहा गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज किया गया है जबकि क्षेत्राधिकार के आधार पर वाद खारिज नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलान्ट् द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2016 की जानकारी उन्हें 17.08.2016 को अधिवक्ता से पूछताछ करने पर हुई है तथा दिनांक 19.08.2016 को नकल प्राप्त हुई है तथा नकल प्राप्त करने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। राजस्व कैम्प में अपीलार्थी संख्या 1/2 गिर्राज के अलावा किसी को सूचना नहीं दी गई तथा गिर्राज को भी निर्णय की जानकारी नही दी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार किये जाने एवं प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि वादी द्वारा सिविल कोर्ट में दावा बाबत् विशिष्ट अनुपालना अनुबंध वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 341, 355, 643, 817 के बारे में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि नाथू द्वारा वादी बद्री को उक्त भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय की गई है परन्तु विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करवाया गया है एवं सिविल कोर्ट से इकरारनामें की पालना चाही गई है। उसी वादी बद्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर यह अंकित करते हुए कि पक्षकार सिविल न्यायालय से अपना निर्णय कराये, वादी का वाद क्षेत्राधिकार से बाधित होने के कारण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज किया गया है। उक्त निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं रही है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील जान–बूझकर देरी से पेश की गई है तथा अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है एवं इसके साक्ष्य के तौर पर अपीलान्टस संख्या 1/2 गिर्राज के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर मौजूद है इसलिए अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2016 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 06.09.2016 को प्रस्तुत की गई है। जो कि 30 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। विलम्ब की क्षमा हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें अंकित किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.08.2016 को हुई है एवं निर्णय राजस्व कैम्प कोर्ट में किये जाने के कारण संबंधित पत्रावली न्यायालय में नहीं पहूंच पाने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए विलम्ब को माफ किया जावे। इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 07.06.2016 को अपीलान्ट्स संख्या 1/2 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे तथा न्यायालय की आदेशिका पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल आवेदन पत्र उपलब्ध है जिस पर भी अपीलान्ट्स संख्या 1/2 के हस्ताक्षर है वह आवेदन पत्र 17.08.2016 को प्रस्तुत किया गया है। उसी आवेदन पत्र के संबंध में अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मीमों की मद संख्या.9 में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा विलम्ब के लिए जो कारण अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में वर्णित किया गया है वह मिथ्या है। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है तथा जान–बूझकर उनके द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि विलम्ब से चाही गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.08.2016 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी अपील दिनांक 06.09.2016 को अर्थात प्रतिलिपि प्राप्त होने के 27 दिवस पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है एवं इस अवधि के बाबत् कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

स्पष्टीकरण अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से किसी भी रूप से व्यथित नहीं है तथा जानबूझकर रेस्पोडेंट्स को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो कि विधि द्वारा अनुज्ञेय नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

8— अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07—06—2016 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 29—06—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर